

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2005

(आयकर)

का.आ. 1467(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा कर निर्धारण वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक के लिए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ “आर्चेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया,” नई दिल्ली, एंक् संघ के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[अधिसूचना सं. 211/2005/फा. सं. 176/21/2005-आयकर-नि.-I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव